



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30032022-234689
CG-DL-E-30032022-234689

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1451]
No. 1451]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 30, 2022/चैत्र 9, 1944
NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 30, 2022/CHAITRA 9, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2022

आय-कर

का.आ. 1494(अ).—केंद्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) [इसके पश्चात् इसे अधिनियम कहा जाएगा] की धारा 206(ग) की उपधारा (1छ) के खंड (ii) के पांचवे परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह अधिसूचित करती है कि 'अधिनियम' की धारा 6 के खंड (1) और खंड (1क) के निबंधनों के अनुसार, किसी ऐसे व्यक्ति, जो भारत का निवासी नहीं है, और वह भारत आ रहा है, पर धारा 206(ग) के उपधारा (1छ) के उपबंध लागू नहीं होंगे।

2. यह अधिसूचना राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

[अधिसूचना सं. 20/2022/फा.सं. 370142/9/2022-टीपीएल]

अंकित जैन, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)**

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th March, 2022

INCOME-TAX

S.O. 1494(E).—In exercise of the powers conferred by clause (ii) to fifth proviso to sub-section (1G) of section 206C of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961)(hereinafter referred to as ‘Act’), the Central Government hereby notifies that the provisions of sub-section (1G) of section 206C shall not apply to an individual who is not a resident in India in terms of clause (1) and clause (1A) of section 6 of the Act, and who is visiting India.

2. This notification shall come into force with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[Notification No. 20/2022/F. No.370142/9/2022-TPL]

ANKIT JAIN, Under Secy.